

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3252
उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024
सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाता

3252. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष जिलेवार प्रशिक्षित युवाओं की संख्या कितनी है;

(ग) आंध्र प्रदेश में स्थापित प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों (पीएमकेके) का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) विशाखापत्तनम में दो पीएमकेके सहित आंध्र प्रदेश में पीएमकेके की परिचालन स्थिति का ब्यौरा क्या है और अब तक उनकी प्रशिक्षण क्षमता का ब्यौरा और प्रशिक्षित युवाओं की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल हब पहल के तहत आंध्र विश्वविद्यालय (एयू), कौशल विकास संस्थानों (एसडीआई) और समुद्री संस्थानों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलान्वयन और पुनर्कौशलीकरण प्रदान करना है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, दिनांक 31.10.2024 तक आंध्र प्रदेश राज्य में 57838 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

(ख) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, वित्त-वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं और प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों की संख्या का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

जिला	पंजीकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों की संख्या
अल्लूरी सीतारामा राजू	1	0
अनकापल्ली	2	294
अनंतपुरमु	22	1,590
अन्नमय्या	5	295
बापतला	3	0
चित्तूर	21	2,168
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	0	0
पूर्वी गोदावरी	15	1,812
एलुरु	4	277
गुंटूर	25	2,613
काकीनाडा	4	94
कृष्ण	19	2,630
कुरनूल	22	2,389
नांदयाल	3	0
एनटीआर	1	96
पलनाडु	2	60
पार्वतीपुरम मान्यम	1	102
प्रकाशम	20	2,286
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	28	3,034
श्री सत्य साई	4	49
श्रीकाकुलम	17	1,307
तिरुपति	4	266
विशाखापत्तनम	35	4,339
विजयनगरम	21	1,546
पश्चिम गोदावरी	18	2,399
वाई.एस.आर.	22	2,775
योग	319	32,421

(ग) पीएमकेवीवाई के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के 13 जिलों में 23 पीएमकेके स्थापित किए गए। इस संबंध में जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

जिला	स्थापित पीएमकेके की संख्या
अनंतपुरमु	2
चित्तूर	2
पूर्वी गोदावरी	3
गुंटूर	2
वाई.एस.आर.	1
कृष्ण	2
कुरनूल	1
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	1
प्रकाशम	2
श्रीकाकुलम	2
विशाखापत्तनम	2
विजयनगरम	1
पश्चिम गोदावरी	2
योग	23

(घ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में दिनांक 31.10.2024 तक स्थापित 23 पीएमकेके में से 11 प्रचालनरत हैं। विशाखापत्तनम में स्थापित दो पीएमकेके प्रचालन में नहीं हैं।

दिनांक 31.10.2024 तक, आंध्र प्रदेश राज्य में 11 प्रचालनरत पीएमकेके में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 35887 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अधिकतम बैच का आकार 30 है।

(ङ) और (च) पीएमकेवीवाई 4.0 एक मांग आधारित योजना है। पीएमकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण केंद्रों को ऑनलाइन पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से मान्यता और संबद्धता की प्रक्रिया के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाता है। विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों की पीएमकेवीवाई 4.0 दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और उसके लिए लक्ष्य आबंटित किए जाते हैं। दिनांक 31.10.2024 तक कौशल विकास संस्थान और आंध्र विश्वविद्यालय में पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार है:

टीपी का नाम	टीसी का नाम	नामांकित	प्रशिक्षित/उन्मुख
कौशल विकास संस्थान (एसडीआई), विशाखापत्तनम	एसडीआई, विशाखापत्तनम - अनाकापल्ले	119	95
कौशल विकास संस्थान (एसडीआई), विशाखापत्तनम	एसडीआई विशाखापत्तनम	2380	1,482
आंध्र विश्वविद्यालय इनक्यूबेशन काउंसिल	एयू एपीएसएसडीसी सीमेंस उत्कृष्टता केंद्र	855	349
योग		3,354	1,926

वर्तमान में, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत समुद्री संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
